अनुशासन समिति राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

मु0नं0 218/2021

अनुशासन समिति परिवाद संख्या 31/2022

मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व0 मुनीर अहमद सिद्दीकी निवासी 60ए/9डी/5सी/2एफ म्योराबाद, जनपद प्रयागराज।.....परिवादी

बनाम

रोशन जहाँ सिद्दीकी पंजीकरण संख्या यू0पी0 0406/2015, निवासी 390/7/1 साहिल कालोनी राजापुर, जनपद प्रयागराज। .....विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय

समिति के समक्ष मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा विपक्षी रोशन जहां सिद्दीकी के विरूद्व धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है कि रोशन जहां सिद्दीकी का लाइसेन्स निरस्त कर दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। तथ्यो के सापेक्ष मे परिवादी का कथन है कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पंजीकरण फार्म मे तथ्यो को छिपाया गया जो कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24ए के विरूद्व और विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्व 7 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है व इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता ने सदैव अधिवक्ता आचरण के विरूद्व कार्य किये है और फर्जी तरीके से हलफनामो को दाखिल किया। परिवादी का यह भी कहना है कि विपक्षी की मूल डिग्री का भी परिशीलन किया जाय और परिवाद पत्र की धारा 6 में उल्लिखित किया है कि तथ्यो को छिपाकर अधिवक्ता की आड में विपक्षी द्वारा जमीनो पर अवैध कब्जे धन वसूली चरस गांजे का संगीन अपराध किया जा रहा है और विपक्षी अधिवक्ता के समस्त कृत्य

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

वकालत मा0 उच्च न्यायालय मे कर रही है। समिति द्वारा परिवाद पत्र व विपक्षी के प्रतिउत्तर पूरक शपथ पत्र व संलग्नको का अवलोकन किया गया और समिति की राय में तथ्यो के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या परिवादी को विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध परिवाद दाखिल करने का अधिकार है?
2. क्या विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 ए के विरूद्ध कार्य किया गया है?
3. क्या विपक्षी अधिवक्ता ने धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत कदाचरण किया है?
4. क्या परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है?

निर्णय की सुगमता के लिये समिति द्वारा बिन्दुवार आदेश पारित किया जा रहा है?

निस्तारण

वाद बिन्दु संख्या 1:- परिवादी द्वारा धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिवाद को दाखिल करते हुये विपक्षी के लाइसेन्स को निरस्त करने की मांग की है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को नियमतः परिवाद दाखिल करने का समुचित सिविल अधिकार प्राप्त है और उसके द्वारा समुचित न्याय शुल्क भी अदा किया गया है। प्रतिउत्तर में विपक्षी अधिवक्ता ने ऐसे कोई साक्ष्य और स्पष्ट कथन नही उल्लखित नही किये है जिससे यह साबित होता हो कि परिवादी को विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध परिवाद दाखिल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। अस्तु परिवादी के पक्ष

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

आचरण विहीन है इस कारण लाइसेन्स निरस्त किया जाय। परिवादी ने अपने कथनो के समर्थन में अधिवक्ता के विरूद्ध दाखिल आपराधिक मुकदमो की सूची दाखिल की है। विपक्षी अधिवक्ता ने अपना काउण्टर शपथ पत्र दाखिल करके स्पष्टीकरण दिया है कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप तथ्य विहीन है और उसकी व्यक्तिगत रंजिश के कारण परिवादी ने मुकदमो को अनावश्यक रूप से दिखलाया है जो कि अभी किसी भी न्यायालय द्वारा निर्णीत नही किये गये है। विपक्षी अधिवक्ता ने अपने ऊपर लगे सभी मुकदमो के बावत स्पष्ट कथन जरिये शपथ पत्र कहे और परिवाद पत्र को खण्डित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त अपने पूरक शपथ पत्र में परिवादी ने लिखित किया है कि विपक्षी अधिवक्ता ने एक अपराधी की तरह सामान्य लोगो के विरूद्ध पिछले 12 वर्षो से कई मुकदमें लिखवाये जिसमें बलात्कार, छेडखानी और पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित भी मुकदमें है इस प्रकार विपक्षी द्वारा लगभग 11 मुकदमें आम लोगो के विरूद्ध लिखवाये गये जिसके सम्बन्ध में परिवादी ने प्रपत्र दाखिल किये है और विपक्षी रोशन जहां का आपराधिक इतिहास भी पूरक शपथ पत्र में संलग्नक-18 के माध्यम से 12 मुकदमो का दाखिल किया। संलग्नक 19 के माध्यम से विपक्षी के विरूद्ध एन0वी0डब्लू0 के आदेश इत्यादि दाखिल किये है जिसका अपने प्रतिउत्तर में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा खण्डन किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता ने 27.08.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये परिवादी के विरूद्ध अवगत कराया है कि वह करीबी रिश्तेदार होने के कारण उपरोक्त झूठी शिकायत कर रहा है और महिला की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी के विरूद्ध मुकदमो के दाखिल करने की बात उल्लिखित की और यह भी अवगत कराया है कि वह माननीय उच्च न्यायालय की सदस्य भी है और

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

में वाद बिन्दु संख्या 1 सकारात्मक रूप से व विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध नाकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 2:- परिवादी के परिवाद पत्र में इस आशय का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि विपक्षी अधिवक्ता ने धारा 24 ए अधिनियम 1961 के प्राविधानो का उल्लघन किया है। समिति ने विपक्षी अधिवक्ता की मूल पंजीकरण पत्रावली को तलब कर उसका परिशीलन किया। दाखिल घोषणा और शपथ पत्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी अधिवक्ता ने स्वयं के ऊपर लगे हुये आपराधिक मुकदमो के सम्बन्ध में कोई भी शपथ पत्र या घोषणापत्र राज्य विधिज्ञ परिषद को न तो पूर्व मे और न ही बाद में प्रस्तुत किया। अतः इस तथ्य का खण्ड नही किया जा सकता कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने ऊपर लगे हुये गम्भीर आपराधिक मुकदमो की कोई सूचना परिषद को उपलब्ध करायी गयी अतः वाद बिन्दु संख्या 2 विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है व रोल कमेटी को माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रेषित करने की संस्तुति भी की जाती है।

वाद बिन्दु संख्या 3:- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और विपक्षी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर शपथ पत्र में लिखित कथनो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता ने भरण पोषण वाद संख्या 253 सन 2008 धारा 125 सीआर0पी0सी0 अपने पति संख्या 3 मो0 शाहिद के विरूद्ध दाखिल किया और मु0अ0सं0 123 सन 2016 थाना कैण्ट मे पारित आदेश दिनांकित 03.04.2018 जो कि विपक्षी अधिवक्ता के पति संख्या-5 है के विरूद्ध पाक्सो एक्ट मे दाखिल किया गया और उक्त तिथि को उसका जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया। व इसके अतिरिक्त वाद सं0 362 सन 2000 में विपक्षी ने मो0 आसिम पति संख्या-2 के विरूद्ध भरण पोषण का

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

एक वाद दाखिल किया। पूरक शपथ पत्र के संलग्न संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट कि रोशन जहां के पति संख्या-4 का नाम नबाव खाँ उर्फ गुडडू लिखा है और पत्र के अवलोकन से विपक्षी अधिवक्ता के तिहाड जेल मे निरूद्ध होने की भी बात प्रकाश मे आती है इसके अतिरिक्त संलग्न 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि विपक्षी द्वारा करायी गयी व संलग्नक 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता ने कई लोगो के विरूद्ध मुकदमें लिखवाये है।

सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत संलग्न और साक्ष्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी के भाई द्वारा रूपयों के लेने-देन में विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध धारा 406, 506 आई.पी.सी. का वाद दाखिल किया था जिस कारण विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी पुत्री के माध्यम से पास्को एक्ट में मुकदमा परिवादी व उसके भाई के ऊपर लिखवा दिया कि रूपया न देना पड़ा। परिवादी के भाई के विरूद्ध दाखिल पास्को वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रचलित है। यह कृत्य पूरी तरह से मारल टरपीट्यूड के अर्न्तगत आता है और निश्चित रूप से अधिवक्ता होने का लाभ विपक्षी द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा इस आशय की धारणा नही की जा सकती कि कोई एक व्यक्ति इस तरह से आचार व्यवहार करे कि वह समाज के अनेक प्रतिष्ठित और परिजनो के विरूद्ध मुकदमें आदि लिखा पाये और यह भी धारणा नही की जा सकती कि समाज के सभी प्रतिष्ठित और अनेक लोग एक ही व्यक्ति के विरूद्ध अकारण मुकदमें लिखवाये। पत्रावली मे दाखिल तथ्यो और एफ0आई0आर0 से यह पता चलता है कि किस तरह विपक्षी ने अनेक लोगो का उत्पीडन किया और इस तथ्य को न्यायालय के जमानत प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांकित 03.04.2018

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

से भी बल मिलता है कि विपक्षी ने अपनी पुत्री के माध्यम से पति के विरूद्व पाक्सो एक्ट मे मुकदमा लिखाया और सुलह करके 164 सीआर0पी0सी0 मे झूठा बयान दिया और मात्र संलग्नक सं0-7 फोटो चित्र जो कि एक पिता और पुत्री के प्रेम का परिचायक है को आधार बना लिया गया। भारतीय समाज में स्त्रीयो को अत्यन्त सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि स्त्रीया अपने परिवार और पुत्र व पुत्रियो की प्रथम शिक्षक होती है। परन्तु विपक्षी के विरूद्व पाये गये साक्ष्यो से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने अभी तक के अपने जीवन काल में 5 व्यक्तियो से विवाह किया है और स्वयं तिहाड जेल मे निरूद्व रही है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्व हनीट्रैप के मामले मे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की। जिसके सम्बन्ध में गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये है। विपक्षी यदि पेशे से अधिवक्ता न हो तो क्या उपरोक्त कृत्यो को किये जाने पर वह सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार कर सकती थी और यदि एक सामान्य व्यक्ति उपरोक्त समस्त अपराध कारित करता है तो वह राज्य सरकार द्वारा व केन्द्र सरकार द्वारा लागू कानूनो के अन्तर्गत एक गम्भीर अपराध की श्रेणी मे आता है। परन्तु यहां पर विपक्षी एक नागरिक होने के साथ साथ अधिवक्ता है और अधिवक्ता होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग बन जाती है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में और भारतीय समाज में अधिवक्ताओ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक अधिवक्ता जो कि पीडित को न्याय दिलाने का कार्य करता है और अपने व्यक्तित्व के आधार पर समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करता है। परन्तु वर्तमान स्थिति में विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्व दाखिल साक्ष्यो के आधार पर समिति को लिखने मे यह खेद व्यक्त करना पढ रहा है कि हमारे समाज

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

में उक्त तरह के आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहने वाले व्यक्ति अधिवक्ता समाज मे सम्मिलित हो गये है और राज्य विधिज्ञ परिषद की यह जिम्मेदारी है कि वह अधिनियम मे प्राप्त अपनी शक्तियो का सकारात्मक रूप से पालन करे। क्या समिति इस कारण विपक्षी अधिवक्ता के प्रतिउत्तर को संज्ञान लेकर क्षमा कर देगी कि वह एक महिला है जबकि संविधान पुरूष और महिलाओ को समान अधिकार प्राप्त है और विपक्षी नागरिक होने के साथ साथ समाज की एक विशिष्ट स्तम्भ का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। विपक्षी अधिवक्ता ने 5 व्यक्तियो के विरूद्ध जिन्हे वह अपना पति स्वीकारती है कार्यवाही की व अन्य अनेक व्यक्तियो के विरूद्ध मुकदमें लिखाये और अपनी पुत्री को ब्लेकमेलिंग के कार्यो मे लिप्त किया जो कि सभ्य समाज का सबसे घृणित कार्य है कि एक महिला जो कि अधिवक्ता भी है और कानून को जानने वाली है उसने अपनी पुत्री को अपराध का हथियार बनाया और भारतीय कानून से प्राप्त उन शक्तियो का दुरूपयोग किया जो महिलाओ को विशिष्ट रूप से प्राप्त है। समिति समस्त पत्रावली का बारीकी से परिशीलन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि विपक्षी एक सामान्य नागरिक होती तो निश्चित तौर पर एक दर्जन से अधिक मुकदमों मे न तो लिप्त रहती और न ही दूसरे व्यक्तियो के विरूद्ध मुकदमें करती जबकि अन्य व्यक्तियो का कोई भी सीधा सम्बन्ध विपक्षी के साथ नही था। अतः यह स्वीकार नही किया जा सकता कि विपक्षी ने अपने अधिवक्ता होने का दुरूपयोग नही किया जबकि वह समस्त तथ्यो से भली भांति परिचित थी और समस्त कानूनो को अधिवक्ता होने के कारण जानकारी मे रखती थी उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निश्चित रूप से अपने व्यवसाय का दुरूप्योग किया गया और अधिवक्ता समाज के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया का

BAR COUNCIL OF U.P.
Allahabad

तथ्यो को छिपाकर अपने अधिकारी का दुरूपयोग किया गया। क्योकि सामान्य व्यक्ति से ऐसी आशा नही की जा सकती कि वह उपरोक्त तरह से मुकदमो को लिखवाकर व्यक्तियो को ब्लैक मेल कर सकती है। अतः समिति वाद बिन्दु संख्या का निस्तारण परिवादी के पक्ष में और तथा विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध नकारात्मक निस्तारित करती है।

वाद बिन्दु संख्या 4:- उपरोक्त समस्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है और तथ्यो तथा साक्ष्यो की गम्भीरता को देखते हुये विपक्षी अधिवक्ता के प्रतिउत्तर में कोई बल नही है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

समिति द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुये विपक्षी अधिवक्ता का लाइसेन्स/ अनुज्ञप्ति /अधिवक्ता पंजीकरण अग्रिम 10 वर्षो के लिये निलम्बित किया जाता है। विपक्षी अधिवक्ता को सम्पूर्ण भारत वर्ष में अग्रिम 10 वर्षो के लिये अधिवक्तावृत्त हेतु प्रतिबंधित किया जाता है व इसके अतिरिक्त आदेश की प्रति मय मूल पत्रावली को माननीय अध्यक्ष राज्य विधिज्ञ परिषद को इस आशय की संस्तुति से प्रेषित की जाती है कि महोदय धारा 24 ए अधिवक्ता अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही करते हुए सक्षम रोल कमेटी के समक्ष पत्रावली प्रेषित करेंगे।

दिनांकः 05.08.2023

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

TRUE COPY

अनुभाग अधिकारी
अनुशासन समिति
बार कौंसिल ऑफ उ0प्र0, प्रयागराज

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD